



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित



संख्या - 50 राँची, बुधवार, 11 माघ, 1945 (श०)
31 जनवरी, 2024 (ई०)

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

राज्यादेश

17 अक्टूबर, 2023

संचिका सं०-5/स०भू० पाकुड़ WBPDC (लीज बंदोबस्ती)-147/2023-3496(5)

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी),
झारखण्ड, पो०-डोरण्डा, राँची ।

विषय :-

मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक-05.10.2023 में मद संख्या-26 के रूप में लिये गये निर्णय के आलोक में पाकुड़ जिलान्तर्गत अंचल-अमड़ापाड़ा के मौजा- विशनपुर, थाना सं०-11, खाता सं०-20, विभिन्न प्लॉट संख्या, कुल रकबा-104.44 एकड़, किस्म- जंगल-झाड़ी एवं जंगल-पहाड़, गैरमजरूआ खास खाते की भूमि (विस्तृत विवरणी संलग्न अनुलग्नक-I) राजस्व विभागीय संकल्प सं०-48/रा०, दिनांक-03.01.2017 की कंडिका-2 के आलोक में गणना की गयी प्रस्तावित भूमि का संगणित सलामी की राशि 1,21,18,06,876/- (एक अरब इक्कीस करोड़ अठारह लाख छः हजार आठ सौ छिहत्तर)

रूपये, सलामी का एक (01) प्रतिशत वार्षिक लगान की राशि **1,21,18,069/-** (एक करोड़ इक्कीस लाख अठारह हजार उन्हत्तर) रुपये मात्र, लगान का 75 प्रतिशत सेस की राशि **90,88,552/-** (नब्बे लाख अठासी हजार पाँच सौ बावन) रुपये मात्र, 29 वर्षों के लिए रेन्ट+सेस की राशि **61,49,92,009/-** (इक्कसठ करोड़ उन्चास लाख बेरानवे हजार नौ) रुपये मात्र एवं भूमि पर स्थित वृक्षों के मुल्यांकन की राशि **10,07,92,800/-** (दस करोड़ सात लाख बेरानवे हजार आठ सौ) रुपये मात्र अर्थात् कुल देय राशि **1,94,87,98,306/-** (एक अरब चौरानवे करोड़ सतासी लाख अठानवे हजार तीन सौ छः) रुपये मात्र (विस्तृत विवरणी संलग्न अनुलग्नकII) की अदायगी पर पचुवाड़ा नॉर्थ कोल ब्लॉक द्वारा कोयला खनन हेतु वेस्ट बंगाल पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड(WBPDCL) के साथ 30 वर्षों के लिए सशुल्क लीज बंदोबस्ती करने के संबंध में।

आदेश :- स्वीकृत।

- I. इस शर्त के साथ स्वीकृति दी जाती है कि उपायुक्त, पाकुड़ प्रस्तावित भूमि के लीज बंदोबस्ती से संबंधित सभी खातों एवं प्लॉटों में अंकित रकबा का खतियान एवं अन्य राजस्व कागजातों से सत्यापन एवं मिलान कर आश्वस्त होने के पश्चात् ही भूमि की लीज बंदोबस्ती की कार्रवाई करेंगे।
- II. जिस प्रयोजन हेतु भूमि का लीज बंदोबस्ती किया जा रहा है, उसमें भूमि की आवश्यकता नहीं रहने अथवा 12 माह में कार्य प्रारंभ नहीं किये जाने पर भूमि स्वतः राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग को वापस हो जाएगी।
- III. उपायुक्त, पाकुड़ इस बात से आश्वस्त हो लेंगे कि प्रसंगाधीन भूमि में किसी प्रकार का विवाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय में लंबित नहीं है एवं उक्त भूमि शमशान, सैरात, भू-हदबंदी, कब्रिस्थान आदि से मुक्त है। उक्त विषयों से पूर्णतः आश्वस्त होने के पश्चात् ही लीज बंदोबस्ती की कार्रवाई करेंगे।
- IV. यदि परियोजना के अंतर्गत वृक्षादि है तो वैसी स्थिति में वृक्षों की लागत मूल्य की गणना कर एकरारनामा के समय अधियाची निकाय से राशि प्राप्त कर ली जायेगी।
- V. इस बंदोबस्ती से प्राप्त राशि बजट शीर्ष "0029 भू-राजस्व-107" के अंतर्गत जमा होगी।
- VI. प्रस्तावित भूमि के लीज बंदोबस्ती की तिथि को भूमि के वर्तमान मूल्य के आधार पर सलामी एवं लगान तथा सेस की गणना कर अंतर की राशि प्राप्त कर संबंधित उपायुक्त द्वारा भूमि की लीज बंदोबस्ती की जायेगी। परन्तु प्रस्तावित भूमि के मूल्य से यदि कम होता है तो अनुमोदित राशि की ही वसूली कर भूमि की लीज बंदोबस्ती की जायेगी। किसी भी परिस्थिति में यह राशि अनुमोदित राशि से कम नहीं होगी। अगर परियोजना से संबंधित दर/सलामी, लगान एवं सेस सहित राशि में अंतर परिलक्षित होता है तो अंतर राशि को संबंधित उपायुक्त द्वारा एकरारनामा करने के पूर्व प्राप्त कर ली जायेगी। उपायुक्त, पाकुड़ यह भी सुनिश्चित कर लेंगे कि यदि भविष्य में किसी प्रकार की देयता होती है तो अंतर राशि अधियाची निकाय द्वारा भुगतये होगा। एकरारनामा में यह शर्त भी सन्निहित रहेगा।

- VII.** प्रसंगाधीन मामले में एकरारनामा का निबंधन कराया जाना आवश्यक होगा एवं निबंधन पर निबंधन शुल्क एवं मुद्रांक शुल्क धार्य होगा। एकरारनामा के निबंधन के समय अधियाची निकाय से उक्त राशि प्राप्त कर ली जायेगी।
- VIII.** यदि निर्धारित अवधि के अंतर्गत अधियाची संस्था द्वारा कार्य प्रारंभ नहीं किया जाता है तो भूमि की लीज बंदोबस्ती हेतु दी गयी राशि को जब्त कर लिया जायेगा। अधियाची संस्था द्वारा राशि जमा किये जाने के बावजूद भी यदि जिला प्रशासन द्वारा अधियाची संस्था को भूमि उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दोषी पदाधिकारियों/कर्मियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जायेगी।
- IX.** पगण् अन्य सभी शर्तें राजस्व विभागीय संकल्प सं०-48/रा०, दिनांक-03.01.2017 एवं खासमहाल इस्टेट मैनुअल में निहित प्रावधानों एवं समय-समय पर सरकार द्वारा निर्गत निदेशों के अनुरूप लागू होगी।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अंजनी कुमार मिश्र,
सरकार के अपर सचिव।

संचिका सं०-5/स०भू० पाकुड़ WBPDC (लीज बंदोबस्ती)-147/2023-3496(5)/रा०

अनुलग्नक-I

प्रस्तावित भूमि की विवरणी :-

क्र० सं०	अभिलेख सं०	अंचल	मौजा	थाना सं०	खाता सं०	दाग सं०	क्षतिपूरक वनरोपण हेतु प्रस्तावित रकबा (ए० में)	भूमि का किस्म
01	01/2023-24	अमड़ापाड़ा	विशनपुर	11	20	707	3.68	जंगल-झाड़ी
						735	5.77	जंगल-झाड़ी
						749 अंश	8.36	जंगल-झाड़ी
						1/780 अंश	83.13	जंगल-झाड़ी
						1/784 अंश	3.50	जंगल-झाड़ी
				सकल कुल रकबा:-		104.44	-----	

अनुलग्नक-IIप्रस्तावित भूमि के मूल्य की गणना :-

क्र० सं०	अभिलेख सं०	मौजा का नाम	रकबा (ए० में)	बाजार दर प्रति एकड़ (रूपये में)	सलामी की राशि (रूपये में) बाजार दर प्रति एकड़ X कुल एकड़	लगान (सलामी का 1 %) (रूपये में)	सेस (लगान का 75%) (रूपये में)	अन्य (29 वर्षों के लिए रेन्ट+सेस) (Rent+Cess)X 29 (रूपये में)	भूमि पर स्थित वृक्षों के मुल्यांकन का देय राशि	कुल देय राशि (रूपये में) (6+7+8+9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	01/2023-24	अमड़ा पाड़ा	104.44	11602900	1211806876	12118069	9088552	614992009	100792800	1948798306
कुल-			104.44	-----	1211806876	12118069	9088552	614992009	100792800	1948798306

अर्थात् 1,94,87,98,306@& (एक अरब चौरानवे करोड़ सतासी लाख अठानवे हजार तीन सौ छः) रुपये मात्र ।

ह/-

सरकार के अपर सचिव ।
